

उपविभाजित इकाईयाँ विनियमित किरायेदारियों की जाँच की जाती है अपराध करने वाले मकान मालिकों को दंडित किया जायेगा



बलपूर्वक
निष्कासन निषिद्ध है



नवीनिकृत
किराया विनियमित है



किरायेदारी की
अधिसूचना अवश्य
जमा करनी होगी



पानी और बिजली
के लिए अधिक शुल्क
लेना प्रतिबंधित है

1A



1B



1C



पूछताछ या शिकायतें



enquiries@rzd.gov.hk



2150 8303



www.rzd.gov.hk/tc/our_services/part_iva.html



Rating and Valuation Department